न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या **60 / 2021** अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
कानाराम पुत्र हदाराम जाति माली, निवासी आरंग तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. आईदानराम पुत्र जवाराराम 2. केंकुदेवी पत्नी तगाराम 3. केशराराम पुत्र हदाराम 4. खेताराम पुत्र तगाराम 5. खमाणाराम पुत्र जवाराराम 6. नीम्बाराम पुत्र जवाराराम 7. माधाराम पुत्र तगाराम 8. रूगाराम पुत्र तगाराम 9. शंकराराम पुत्र जवाराराम 10. शंभूराम पुत्र जवाराराम जाति माली, निवासी आरंग तहसील शिव, जिला बाड़मेर 11. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीगण – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 10 :– भीमाराम कुमावत।

–:: निर्णय ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर शिव जिला बाड़मेर

दिनांक : 15.02.2023

वादीगण अधिवक्ता एंवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार होने से विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया है तथा मौके पर हम पक्षकारान् को को सूचित किये बिना एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव तैयार किया हुआ होने से उक्त विभाजन प्रस्ताव को निरस्त कर पुनः नये सिरे से तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में उभयपक्ष व मौतबिरान के रूबरू मौके पर ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रतिवादीगण की अपील को खारिज करते हुए प्रकरण नियमित सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है तथा साथ ही न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री को यथावत रखा जाने पर नियमानुसार तहसीलदार शिव से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर प्राप्त किया गया है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में मौके पर जाकर तैयार किया गया है, जिसमें रूबरू मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये है तथा प्रतिवादीगण द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया है। अतः उक्त स्थिति में प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा [illegible] की जाती है तथा तंहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार विभा[illegible]कार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार [illegible] का वाद स्वीकार कि[illegible]कर तहसील शिव के ग्राम आरंग के खेत खसरा नम्बर 127, 494/127 [illegible] भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृ[illegible] –

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.03.09 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	कि[illegible]	लगान	बरंग
1	कानाराम पुत्र हदाराम जाति माली सा. देह खातेदार	आरंग	127	0.1295	बा.सो.	0.01	बैंगनी
			127	0.2590	बा.सो.	0.02	
			494 / 127	0.1214	बा.सो.	0.01	
			3	0.5099		0.04	

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

2	आईदानराम पुत्र जवाराराम, केंकुदेवी पत्नी नगाराम, केशराराम पुत्र हदाराम, खेताराम पुत्र तगाराम, खमाणाराम पुत्र जवाराराम, नीम्बाराम पुत्र जवाराराम, माधाराम पुत्र तगाराम, मिसरोदेवी पत्नी जवाराराम, रूगाराम पुत्र तगाराम, शंकराराम पुत्र जवाराराम, शंभुराम पुत्र जवाराराम कौम माली सा. देह खातेदार रहन शंकराराम का हिस्सा पीएनबी उण्डू	आरंग	127	1.5297	बा.सो.	0.09	हरा
			1	1.5297		0.09	

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित इस निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर शिव जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.03.09 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 15.02.2023 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव